।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना शास्त्रीनगर जयपुर उत्तर।।

8157
18.9.18

क्रमांक:- 10393 दिनांक:- 18-9-18

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय

वृत शास्त्रीनगर जयपुर (उत्तर)

विषय:- 181 सी.एम. हैल्प लाईन प्राप्त परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार की जाच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान के कार्यालय 4266 दिनांक 14.09.18 की पालनार्थ।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है की एक परिवाद जरिये डाक दिनांक 14.09.18 को थाना हाजा पर श्रीमान के कार्यालय से इस आशय का प्राप्त हुआ की कि चौथ वसूली के खिलाफ शास्त्रीनगर थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। राज के समय अंडरलोड वाहनो से चौथ वसूली के विरोध में शनिवार को बजरी ट्रांपोर्टरो ने शास्त्रीनगर थाना के पुलिस कर्मियो के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए बजरी ट्रक ऑपरेटर्स ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा के नेतृत्व में सुबह 11 बजे रैली के रूप में थाना में पंहुचे। शर्मा ने आरोप लगाया बजरी खनन पर रोक लगने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स का पहले से ही धंधा चौपट हो गया है। बजरी के बाद ट्रक ऑपरेटर्स एम सैंड, स्टोन डस्ट, सिलिका सैंड, अंडरलोड लेकर आते है। इसका बिल भी ट्रक चालक के पास होता है। इसके बाद भी पुलिस कर्मी रात के समय चौथ वसूली कर रहे है। महोदय, इस संबंध में दिनांक 02.09.18 को दौराने डयूटी रात्रि गस्त चैकिंग श्री विरेन्द्र सिहं उ.नि. द्वारा ट्रक न0 RJ14-GH-0001 को रोककर कागजात चैक किये तो कोई कागजात नहीं होने पर नियमानुसार धारा 207 MV ACT में जप्त किया गया था जो न्यायालय श्रीमान MM-29 जयपुर महानगर के रिलीज आदेश से छोडा गया है। चौथ वसूली का झूंठा आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अवलोकनार्थ पेश हैं।

थानाधिकारी

पुलिस थाना शास्त्रीनगर

जयपुर (उत्तर)